

## कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा।

### सूचना

यथानिर्देशित विद्वान अधिवक्ताओं, अधिवक्ता लिपिकों एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 10.04.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत कोरोना के बढ़ते प्रकोप एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।

sd/-

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा।